महत्वपूर्ण / आवश्यक

संख्या– 792 / 2021–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त / अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गौतमबुद्धनगर / कानपुर / वाराणसी
समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 04 मई, 2021**

विषयःकोविड–19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लोकडाउन की अवधि में सेवाओं को ई–पास से छूट प्रदान किए जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में राजस्व–11 के शासनादेश संख्या–326 / एक–11–2021, दिनांक 03.05.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कोविड–19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लाकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु आनलाइन ई–पास जारी करने से सम्बन्धित शासनादेश निर्गत किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निम्न सेवाओं ई–पास से एतदद्वारा छूट प्रदान की जाती है:–

1. औद्योगिक गतिविधियां।
2. मेडिकल / आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति व आवश्यक वस्तुओं का परिवहन
3. मेडिकल व स्वास्थ्य तथा औद्योगिक ईकाईयों में उपस्थिति तथा उद्योगों सम्बन्धी कार्यो
4. ई–कामर्स आपरेशन्स।
5. आपात चिकित्सास्थिति(Medical Emergency) वाले व्यक्ति।
6. दूरसंचार सेवाए, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, / प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री।.
2. मुख्य स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

4/5/21

(बी0डी0 पॉलसन)
सचिव।